प्रेस विज्ञप्ति

29.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय ने मेसर्स ईएमएएआर इंडिया लिमिटेड (501.13 करोड़) और मेसर्स एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड (332.69 करोड़) की 401.65479 एकड़ में फैली और 834.03 करोड़ रुपये मूल्य की अचल परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां जमीन के रूप में हैं, जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के 20 गांवों और दिल्ली में स्थित हैं। मेसर्स ईएमएएआर इंडिया लिमिटेड और मेसर्स एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड दोनों के खिलाफ गुड़गांव के सेक्टर-65 और 66 में आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी के लिए डीटीसीपी (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग) से प्राप्त लाइसेंस संख्या 97/2010 दिनांक 18/11/2010 के संबंध में धन शोधन की जांच की जा रही है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीटीसीपी के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स ईएमएएआरएमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। यह मामला विभिन्न भूस्वामियों, आम जनता और हरियाणा राज्य/एचयूडीए के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलए अधिनियम) की धारा 4 और बाद में संबंधित भूस्वामियों की भूमि के अधिग्रहण के लिए एलए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाई गई, जिससे भूस्वामियों को अपनी जमीन कॉलोनाइजर कंपनियों को एलए अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले की प्रचलित कीमत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र (एलओआई)/लाइसेंस प्राप्त कर लिए, जिससे संबंधित भूस्वामियों, आम जनता और हरियाणा राज्य/एचयूडीएको नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने स्वयं गलत तरीके से लाभ कमाया।

हरियाणा सरकार ने 02/06/2009 को गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 की 1417.07 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की थी। तदनुक्रम में, 31/05/2010 को 1417.07 एकड़ भूमि में से लगभग 850.10 एकड़ भूमि पर धारा 6 के तहत अधिसूचना लगाई गई। इसलिए 02/06/2009 से 31/05/2010 की अवधि के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एलओआई/लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही से लगभग 600 एकड़ भूमि को टुकड़ों में मुक्त किया गया।

22/04/2009 को, मेसर्स ईएमएआर प्रॉपर्टीज पीजेएससी, दुबई और मेसर्स एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के संयुक्त उद्यम यानी मेसर्स ईएमएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड ने गुरुग्राम के सेक्टर 65 और 66 में आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 112.46 एकड़ जमीन के लिए एलसी-1 आवेदन किया और धारा 4 के तहत अधिसूचित 70.406 एकड़ जमीन को डीटीसीपी द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया और बाद में हरियाणा सरकार से आंतरिक सहमति के बाद 31/05/2010 को 108.006 एकड़ जमीन के लिए एलओआई कंपनी को दिया गया। 18/11/2019 को लाइसेंससं 97/2010 मेसर्स ईएमएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड कोदिया गया।

ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स ईएमएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड ने 27.306 एकड़ जमीन के लिए किसानों के साथ 6 पूर्व-दिनांकित विकास समझौते निष्पादित किए थे और दावा किया था कि उक्त विकास समझौते अप्रैल 2009 में निष्पादित किए गए थे, लेकिन वास्तव में उन्हें मार्च 2010 में निष्पादित किया गया था। जांच में आगे पता चला कि तथाकथित सहयोग समझौते पूर्व-दिनांकित और जाली थे और गलत तरीके से प्रस्तुत किए गये थे कि धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले इन्हें निष्पादित किया गया था ताकि डीटीसीपी से लाइसेंस प्राप्त करने में किसी भी जटिलता से बचा जा सके। इस प्रकार, मेसर्स ईएमएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड ने 25.887 एकड़ जमीन पर लाइसेंस के रूप में अपराध की आय अर्जित की, जिसका वर्तमान मूल्य 1229.17 करोड़ रुपये है। यह केवल एक योजना थी, ताकि जिन किसानों ने अपनी जमीनें बिल्डरों को बेची हों या नहीं बेची हों, उन्हें अधिग्रहण की कार्यवाही के भय से अन्यथा किसी न किसी समझौते के नाम पर बिल्डरों को अपनी जमीन देने के लिए मजबूर किया जाए।

बाद में, मेसर्स ईएमएएआरएमजीएफ लैंड लिमिटेड को मेसर्स ईएमएएआर इंडिया लिमिटेड और मेसर्स एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड में विभाजित कर दिया गया, जिनकी संयुक्त संपत्तियों में क्रमशः 60.11% और 39.89% की हिस्सेदारी थी। इस प्रकार, मेसर्स ईएमएएआर इंडिया लिमिटेड के संबंध में 501.13 करोड़ रुपये (अपराध की आय के शेष का 60.11%) और मेसर्स एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड के संबंध में 332.69 करोड़ रुपये (अपराध की आय के शेष का39.89%) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

भूमि के चित्र संलग्न हैं

*****